

कार्यालय – उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड टिहरी

परिक्षेत्र के टिहरी

वन प्रभाग की टिहरी, पीस्हाल

रेंज के अन्तर्गत जनपद

के विकास खण्ड जारखनीदार

में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from

Tipri Chawki To Roshdhar

.....(Total

Length 30.200 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.302 है 0 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.302 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) के पक्ष में वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील – जारखनीदार) की दिनांक 06-2-21..... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रवीन्द्र जुवाठा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री रवीन्द्र जुवाठा उप जिलाधिकारी टिहरी जारखनीदार, टिहरी प्रभागीय वनाधिकारी
2. श्री रमेश चंद्र २५०२०२० उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी सदस्य। रानीचौरी उप वन प्रभाग
3. श्री छंगल ३५०२०२० सहायक समाज कल्याण अधिकारी टिहरी सदस्याधार अरविन्द सिंह पंवर
4. श्री दुर्वे-८८५८ बी०डी०सी० क्षेत्र टिहरी बैठक सदस्य। टिहरी बैठक सदस्याधार अरविन्द सिंह पंवर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी श्री रवीन्द्र जुवाठा वन प्रभाग के टिहरी, पीस्हाल रेंज अन्तर्गत के विकास खण्ड जारखनीदार में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from

Tipri Chawki To Roshdhar

.....(Total

Length 30.200 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.302 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) के पक्ष में वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसममति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु में अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (टिहरी)

टिहरी

वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित

जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसममति से टिहरी

परिक्षेत्र के अन्तर्गत टिहरी

वन प्रभाग के टिहरी, पीस्हाल अन्तर्गत

जनपद टिहरी के विकास खण्ड जारखनीदार में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from

Tipri Chawki To Roshdhar

.....(Total

Length 30.200 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.302 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील.....

जनपद –

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

उप जिलाधिकारी

टिहरी

टिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी के विकास खण्ड जाखणीधार में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from Tiptri chank To Rordhar (Total Length 30.200 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.302 है। वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पत्र सं 11-9 / 98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सङ्क निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त रखा गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित/आंबटित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आंबटित 0.302 है। वन भूमि/बंजर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

मंत्री
राज्यमंत्री
तहसील जाखणीधार
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

मंत्री
राज्यमंत्री
काम्पनी-जाखणीधार टिहरी
राजस्व उपनिरीक्षक
नवाकोट, तहसील जाखणीधार
टिहरी गढ़वाल

मंत्री
तहसीलदार
जाखणीधार

मंत्री
उप जिलाधिकारी
जाखणीधार, टि०१०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - टिहरी

तहसील - जाखणीधार

जिला - टिहरी

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी के विकास खण्ड जाखणीधार में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from पानी...Chawak...To...Ranikhol(Total Length 30.20 Km)

तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.302 है। वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 5-2-21 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.302 है। वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab)** के पक्ष भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमापित किया जो सत्य संघ सही है।



Annexure-1

Form-1 For linear projects Government of Uttarakhand Office of the District Collector Tehri

No. 405/ALC-II

Dated 4.5.2024

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoFF) Government of India's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **0.302** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial area, Mohali (Punjab)** for construction Row permission for laying Optical Fiber Cable from- **Tipri Chowk To Rordhar . Total length – 30.200 Km**. Tehsil Jakhnidhar. (purpose for diversion of forest land) in Tehri district falls within jurisdiction of in Tipri , Jakhnidhar, Phakw chak, Petab, Anjanisain & Roaddhar, in Jakhnidhar Tehsil. It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.302Hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure to annexure.....,
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Date:-

Encl.As above.

Signature

(..........)

Full name and  of District Collector
टेहरी गढ़वाल।

FORM-II

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri

No- 405 /ALC-II

Dated- 4.5.2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. it is certified the **0.302** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial area, Mohali (Punjab)** (name of user agency) for Construction of **Row permission for laying Optical Fiber Cable from Tipri chowk To Rordhar . Total length – 30.200 Km**). Tehsil Jakhnidhar (purpose for diversion of forest land) in Tehri District falls within jurisdiction of Jakhnidhar Tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.308hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s). Gram Sabha(s) sub-Division level committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....to annexure.....

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned GramaSabha of Forest Dwellers, who are eligible under the FRA.

Encl: As above.

जिला विधारी
Signature
दिनांक: 4/5/2021
(Full Name of official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT –TEHRI (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr./Mrs. Eva Srivastava** I.A.S District collector, Tehri at which application claiming rights in **Block- Jakhnidhar** .area measuring **0.302 Hect.** for **Construction of Row permission for laying Optical Fiber Cable** from - **Tipri Chowk To Rordhar. Total length 30.200 Km).** District- Tehri by **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial area, Mohali (Punjab)** Tehsil-Mohali, Dis.-Punjab forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: **New Tehri**

Dated: **4-5-2021**

District Collector-cum-Chairman District
Level Committee
टेहरी गढ़वाल।

It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of जनपद Tehri मेराज्य योजना के अन्तर्गत Route From Tipri Chowk To Rordhar . Total length – 30.200 Km). for Construction of laying Optical Fiber Cable. scheme regarding FRA is as following .

| Sr. No. | | Remark |
|---------|--|---|
| (a) | He complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 0.302 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s) | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. |
| (b) | The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. |
| (c) | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. |

जिलापचायत सदस्य

विनोद बिष्ट

सदस्य

जिला पचायत-काह गढ़वाल
विधायक-जाखणीधार टिहरी

समाजकल्याण अधिकारी

जिला समाज कल्याण अधिकारी
प्रतिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी,

जिलाधिकारी,

टिहरी गढ़वाल।

प्रतिहरी वनाधिकारी
विहरी वन प्रभाग
लर्ड टिहरी